

(Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in Rule 24, to clause (i) of sub-rule (2), the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that where such authority is subordinate to the President in respect of a Government servant for whom President is the appellate authority in terms of sub-clause (b) of clause (i) of sub-rule (1), the appeal shall lie to the President”

[No. 11012/3/81-Ests (A)]

B. S. NIM, Director

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

कां० प्र० 168—राष्ट्रपति, मंत्रिधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखापरिक्षा और लेखा विभाग में मेथारन व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक में परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय मिश्रित सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मिश्रित सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मिश्रित सेवा (बर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 24 के उपनियम (2) के खण्ड (i) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा, अर्थात्—

“परन्तु जहाँ ऐसा प्राधिकारी किसी ऐसे सरकारी सेवक के संबंध में जिम्मे लिये राष्ट्रपति उपनियम (i) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) के नियमों के अनुसार अपील प्राधिकारी है अश्वीनस्य है तब प्रथम राष्ट्रपति को की जायगी।”

[मछया 11012/3/81-म्या०(ए.)]

बी० एम० निम, निदेशक

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 7th January, 1982

S.O. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with Clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central